फार्म आदेशिका

नक्शा

न्यायालय का नाम :—उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. /202.......

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	27/1/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अवकाश पर है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/3/25 को पेश हो।
	12/3/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. व अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7/5/25 को पेश हो। का न्यायालय रिक्त होगा।
	7/5/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. का अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/5/25 को पेश हो।
	28.5.25	पत्रावली पेश हुई। वादी/पक्षकार अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण को तामील समन मय डिलीवरी रिपोर्ट पूर्ण की पेश। अ.मि. रहे। प्रतिवादी सं. 13 व 21 की तामील पूर्ण। प्रतिवादी सं. 1, 8 ता. 12, 14 ता. 20, 23 ता. 26, 28 ता. 34 की तलबी हेतु समन तलबाना पेश होने पर पंजीकृत Reg. Ad. जारी होकर पत्रावली दिनांक 25/6/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर
	25.6.25	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी को आज न्यायालय में पृथक-पृथक समय पर तीन-तीन बार आवाजे लगवायी गयी। बावजूद आवाज लगवाने के उपरांत भी वादी के न्यायालय में हाजिर नहीं आने के कारण पत्रावली अन्तर्गत आदेश 9 नियम-3 सी.पी.सी. के तहत अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली कौसल कुमार ओकर-नाकिर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर